

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 16 / 2026
जी.सी.एम.एस नं. : 2026 / 17

अभियुक्त :-


राजस्थान राज्य जरिये
श्री उम्मेद मल टेलर
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा (राज)


श्री विकेश कुमार पंचोरी पुत्र स्व. श्री
कन्हैयालाल निवासी जैन मौहल्ला,
नौगामा, बांसवाड़ा (विक्रेता/ मालिक)
मैसर्स विकेश जैन किराणा स्टोर, बस
स्टेण्ड, नाहरपुरा, तह. आनन्दपुरी,
बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 13-04-2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 10-03-2026 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 11-03-2025 को 02.50 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स विकेश जैन किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड, नाहरपुरा, तह. आनन्दपुरी, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री विकेश कुमार पंचोरी पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में मैसर्स विकेश जैन किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड, नाहरपुरा, तह. आनन्दपुरी, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर दुकान में चना बेसन (नॉन ब्राण्डेड) 500 ग्राम के 15 पैकेट विक्रय हेतु रखे थे। उक्त चना बेसन (नॉन ब्राण्डेड) में गुणवत्ता की कमी/मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए चना बेसन (नॉन ब्राण्डेड) के 4 पैकेट प्रत्येक में 500 ग्राम वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 200/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा चना बेसन (नॉन ब्राण्डेड) के 4 पैकेट प्रत्येक में 500 ग्राम के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर तैयार किये गये लेबल,  और ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-2071 प्रत्येक


न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)



नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाड़ा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाड़ा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाड़ा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/145 दिनांक 27-03-2025 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 386 दिनांक 24-03-2025 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया चना बेसन (नॉन ब्राण्डेड) का नमूना कोड क्रमांक **W-2071 सबस्टैण्डर्ड** पाया गया।

विक्रेता द्वारा चना बेसन (नॉन ब्राण्डेड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 10-03-2026 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 13-04-2026 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अप्रार्थी ने अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध नरमी का रुख अपनाते हुए अधिकतम जुर्माने को कम किया जाकर कम से कम जुर्माना लगाये जाने निवेदन किया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बाँसवाड़ा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2025/145 दिनांक 27-03-2025 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बाँसवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 386 दिनांक 24-03-2025 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया चना बेसन (नॉन ब्राण्डेड) का नमूना कोड क्रमांक

W-2071 सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बाँसवाड़ा (राज.)

है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया चना बेसन (नॉन ब्राण्डेड) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री विकेश कुमार पंचोरी पुत्र स्व. श्री कन्हैयालाल निवासी जैन मौहल्ला, नौगामा, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स विकेश जैन किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड, नाहरपुरा, तहसील आनन्दपुरी, बांसवाडा को रूपये 10000/- (अक्षरे दस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 13-04-2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(राजीव द्विवेदी)
न्याय निगम अधिकारी
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)